न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क-266/2011 संस्थित दिनांक-12.07.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

वीरन पुत्र प्योरलाल अहिरवार उम्र 41 साल निवासी जुगयाना मोहल्ला तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0अभियुक्त

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 04.01.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध धारा—25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 29.04.2011 को समय 14:30 बजे स्थान पुराना बस स्टेण्ड अंग्रेजी कलारी के सामने रोड चंदेरी, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312—6552—।।—बी दिनांक 22.11.1974 द्वारा निषेधित एक लोहे धारदार छुरी, जिसकी लंबाई 7 इंच व चौडाई ढाई इंच थी, को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा 4 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सहायक उपनिरीक्षक एस0 एस0 गौर थाना चंदेरी रोजनामचा सान्हा—1120 के 14:00 बजे पर मय हमराही प्रधार आरक्षक 153 राजेन्द्र कुमार आरक्षक विनोद कुशवाह के कस्बा भ्रमण हेतु पुराना बस स्टेण्ड चंदेरी पहुचें, तो अंग्रेजी शराब की कलारी की दुकान के सामने एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा, जिसे घेर कर पकड लिया, चेक किया तो पेण्ट में दाहिनी तरफ एक लोहे की धारदार छुरी खुरसे मिला नाम पता पूछा, तो अपना नाम वीरन पुत्र प्यारेलाल अहिरवार निवासी बारी हाल निवासी जुगयाना मोहल्ला चंदेरी का बताया, उक्त अपराध धारा 25 बी आर्म्स एक्ट के तहत् दण्डनीय पाये जाने पर मौके पर साक्षी महेन्द्र सिंह, प्रवीण साहू के समक्ष अवैध छुरी को जप्त कर पंचनामा जप्ती बनाया गया, बाद आरोपी वीरन पुत्र प्यारेलाल अहिरवार को गिरफ्तार कर, फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध

पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—193 / 11 अंतर्गत धारा—25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.04.2011 को समय 14:30 बजे स्थान पुराना बस स्टेण्ड अंग्रेजी कलारी के सामने रोड चंदेरी, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312—6552—।।—बी दिनांक 22.11.74 द्वारा निषेधित एक लोहे धारदार छुरी जिसकी लंबाई 7 इंच व चौडाई ढाई इंच थी, को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा 4 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया ?
- 2. |दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

05—अभियोजन की ओर से प्रकरण में जप्ती एवं गिरफतारी कर्ता अधिकारी एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) सिहत जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी प्रवीण साहू (अ0सा0—1) सैनिक महेंद्र सिंह (अ0सा0—3) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेंद्र कुमार (अ0सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये है। एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह दिनांक 29.04.11 को पुलिस थाना चंदेरी में जब सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, तो उक्त दिनांक को कस्बे में पुराने बस स्टेण्ड रोड पर कलारी के पास जब वह पहुंचा, तो वहां उसके साथ प्रधान आरक्षक राजेंद्र व आरक्षक विनोद कुशवाह उपस्थित थे। एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) का कहना है कि उन लोगों को

देखकर अभियुक्त वहा से भागने लगा, जिसे घेर कर तथा तलाशी लेने पर उस व्यक्ति के पेण्ट के दाहिने तरफ एक धारदार छुरी वह खरचे मिला, जिसको रखने का उसके पास वैध लाईसेंस नही था। तब अभियुक्त से साक्षीगण के समक्ष छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी—1 उसने तैयार किया था, तथा साक्षियों के समक्ष ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श—पी—2 तैयार किया था, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।

- 06—यह उल्लेखनीय है कि जप्ती व गिरफ्तारी कर्ता अधिकारी एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) घटना के समय अपने साथ प्रधान आरक्षक राजेंद्र को मौजूद बताता है। राजेंद्र (अ0सा0—2) के कथन अभियोजन ने अपने समर्थन में न्यायालय में कराये है, जिसमें इस साक्षी ने घटना के सबंध में अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये है तथा प्रतिपरीक्षण में इसी साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक 29.04. 2011 को घटना स्थल पर अवश्य गया था, परन्तु इस साक्षी का कहीं भी यह कहना नहीं है कि उसके सामने कभी कोई घटना घटित हुई थी। अतः सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र (अ0सा0—2) के द्वारा एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के द्वारा दिये गये इन कथनों का समर्थन नहीं किया गया कि घटना दिनांक को वह एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के साथ था, जब अभियुक्त से उसकी जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। अतः घटना के संबंध में कोई कथन न देने से राजेंद्र (अ0सा0—2) के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 07—एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) अपने कथनों में साक्षियों के समक्ष जप्ती प्रदर्श—पी—1 व गिरफ्तारी प्रदर्श—पी—2 की कार्यवाही करना बताता है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में इस साक्षी का कहना है कि मौके पर स्वतंत्र साक्षी कौन—कौन थे, वह नही बता सकता है। अतः जप्ती कर्ता अधिकारी स्वयं ही यह बताने की स्थिति नही है कि उसके द्वारा घटना दिनांक 29.04.2011 को जप्ती व गिरफतारी कार्यवाही किसके समक्ष की गई थी।
- 08—अभियोजन की ओर से जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी के रूप में प्रवीण साहू (अ0सा0—1) व महेंद्र (अ0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये है, जिनमें महेंद्र सिंह (अ0सा0—3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह थाने पर तामील का काम करता है राजेंद्र (अ0सा0—2) ने अपने कथनों में यह

स्पष्ट किया है कि प्रवीण साहू (अ०सा0—1) नगर रक्षा समिति में कैप्टन है तथा साक्षी महेंद्र (अ०सा0—3) का भी थाने पर आना जाना रहता है अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रवीण साहू (अ०सा0—1) व राजेंद्र (अ०सा0—3) पुलिस के ही साक्षी है।

- 09—प्रवीण साहू (अ0सा0—1) व राजेंद्र (अ0सा0—3) का थाने से संबंध होने के कारण भी इन दोनों ही साक्षियों ने अपने कथनों में अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन नही किया है तथा जप्तीकर्ता अधकारी एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के न्यायालय में दिये गये कथनों के विरूद्ध न्यायालय में कथन दिये है। प्रवीण साहू (अ0सा0—1) अपने सामने प्रदर्श—पी—1 की जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही होना अस्वीकार करने के बाद इस साक्षी का यह भी कहना है कि प्रदर्श—पी—1 व 2 पर न तो उसके हस्ताक्षर है और न ही उक्त लिखा—पढी उसके सामने हुई है। यह साक्षी पुलिस को भी कोई बयान न देना बताता है।
- 10—महेंद्र (अ0सा0—3) का भी अपने कथनों में यह कहना है कि उसके व प्रवीण (अ0सा0—1) के सामने पुलिस ने कभी कोई कार्यवाही नहीं की तथा उसे यह जानकारी नहीं है कि पुलिस ने अभियुक्त से उसके व प्रवीण के सामने कोई लोहे की छुरी जप्त की है। अतः प्रवीण साहू (अ0सा0—1) व महेंद्र (अ0सा0—3) के द्वारा अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन दिये है तथा एस एस गौर (अ0सा0—4) के द्वारा कथनों में बताई प्रदर्श—पी—1 व 2 जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही अपने समक्ष होने से ही इन्कार किया है तथा उसकी कोई जानकारी न होना बताया है। राजेंद्र कुमार (अ0सा0—2) एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के अनुसार घटना का प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी है, परन्तु इस साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन तक न्यायालय में नहीं दिये है। अतः ऐसे में अभियोजन घटना के संबंध में मात्र जप्ती व गिरफ्तारी अधिकारी एस एस गौर की साक्ष्य शेष बचती है जिसका सूक्ष्म मूल्याकेंन किया जाना आवश्यक है।
- 11—विधि के द्वारा यह सुस्थापित है जप्ती व गिरफ्तारी के पंच साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने मात्र से जप्ती व गिरफ्तारीकर्ता अधिकारी की कार्यवाही को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। जप्तीकर्ता अधिकारी जो कि पुलिसकर्मी होता है, कि साक्ष्य का विवेचन भी अन्य साक्षियों की तरह ही किया जाना है। एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) का कहना है कि प्रदर्श—पी—1 का जप्तीपत्रक व प्रदर्श—पी—2 का गिरफ्तारी पत्रक अभियुक्त से छुरी जप्त कर उसके गिरफ्तार कर साक्षियों के समक्ष तैयार किया था, जिस पर इस साक्षी ने

अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।

- 12—प्रदर्श—पी—1 व 2 पर एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के हस्ताक्षर प्रमाणित होने से यह निष्कर्ष तो निकाला जा सकता है कि प्रदर्श—पी—1 व 2 की लिखा—पढी एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के द्वारा व उसके निर्देशन में की गई, परन्तु प्रदर्श—पी—1 व 2 का पत्रक उसमें उल्लेखित कार्यवाही का सारभूत साक्ष्य नहीं होती है उसे अन्य मौखिक साक्ष्य ही साबित करना होता है।
- 13—वर्तमान प्रकरण में एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) का यह तो कहना है कि दिनांक 29.04.2011 को पुराने बस स्टेण्ड पर कलारी के पास पहुचा था, जहां उसके साथ प्रधान राजेंद्र (अ0सा0—3) व आरक्षक विनोद कुशवाह मिले थे, परन्तु यह घटना दिन मे कितने बजे की है तथा कितने बजे वह घटना स्थल पर पहुचा था, इसका कोई उल्लेख इस साक्षी ने अपने कथनों में नहीं किया। यह साक्षी साक्षियों के समक्ष छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षियों के समक्ष जप्ती प्रदर्श—पी—1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श—पी—2 तैयार करना बताता हैं, परन्तु उक्त कार्यवाही किन साक्षियों के समक्ष की गई, यह साक्षी यही बताने की स्थिति में नहीं है।
- 14—एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के द्वारा थाने से रवानगी कितने बजे डाली गई कितने बजे वह घटना स्थल पर पहुचा तथा कितने बजे जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके द्वारा की गई, यह इस साक्षी ने अपने कथनो में कही भी स्पष्ट नही किया है। प्रकरण में दिनांक 29.04.11 का वापसी सान्हा कि कार्बन प्रति प्रकरण में प्रस्तुत की गई है जो कि मूल सान्हा नही है और नही मूल सान्हा से मिलान उपरांत उक्त प्रति तैयार की गई, यह प्रमाणित किया गया है। उक्त प्रति प्रदर्श—पी—6 को द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राहय किये जाने के आधार तक स्थापित नही किये गये है। अतः ऐसे में मूल सान्हा के न्यायालय में प्रस्तुत न होने से उक्त दस्तावेज प्रदर्श—पी—6 विधिवत् प्रमाणित नही होता है।
- 15—अतः एस0 एस0 गौर (अ०सा0—4) की साक्ष्य से यह प्रमाणित नही होता है कि वह थाने से रवानगी डालकर कितने बजे घटना स्थल पहुचा था तथा कितने बजे किन साक्षियों के समक्ष उसे अभियुक्त मिला था और कितने समय पर उसके द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। यह उल्लेखनीय है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—1 में छुरी का माप करीब सात इंच व फल की चौडाई करीब दो इंच लेख है। जो कि प्रकरण में जप्त शुदा बताई गई आर्टिकल ए कि

छुरी के माप से मेल नही खाती है।

- 16—आर्टिकल ए की छुरी की कुल लंबाई हत्ते सिहत 13 इंच है तथा ब्लेड की चौडाई 1.7 इंच है, जबिक जप्ती पत्रक पर छुरी की लंबाई का कुल माप हत्ते सिहत नौ इंच है, वही चौडाई का कोई उल्लेख नही है। अतः प्रदर्श—पी—1 में जप्त दर्शाई गई छुरी व आर्टिकल ए छुरी के माप में भारी अंतर है, जिससे यह दर्शित होता है कि आर्टिकल ए छुरी व जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—1 में दर्शाई गई छुरी भिन्न—भिन्न है। एस० एस० गौर (अ०सा०—4) अपने प्रतिपरीक्षण की किएडका—3 में जप्तशुदा छुरी का माप ही नहीं बता सका, कि उसके द्वारा किस माप की छुरी जप्त की गई।
- 17—प्रकरण में जप्तशुदा छुरी मौके पर शील नहीं की गई यह एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में स्वयं स्वीकार करता है तथा छुरी पर इस आशय की पहचान नहीं है कि वह इसी प्रकरण में उसके द्वारा जप्ती की गई छुरी है। जिसके संबंध में यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—4 में स्वयं ही बताने की स्थिति नहीं है कि प्रदर्श—पी—1 में वर्णित छुरी आर्टिकल ए की छुरी है।
- 18—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में जप्तशुदा बताई गई आर्टिकल ए की छुरी के माप में एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—1 के छुरी के विवरण में गंभीर अंतर होने तथा स्वयं जप्ती कर्ता अधिकारी एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) का अपने कथनों में यह बता पाना कि वास्तव में आर्टिकल ए की छुरी प्रदर्श—पी—1 के अनुसार जप्ती की गई थी। जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा न तो यह स्पष्ट किया गया कि वह प्रदर्श—पी 1 व 2 की कार्यवाही किन साक्षियों के समक्ष कितने बजे की गई थी तथा स्वयं जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी प्रवीण साहू (अ0सा0—1) व महेंद्र सिंह (अ0सा0—3) के द्वारा एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) की कार्यवाही का समर्थन न करते हुये अपने सामने प्रदर्श—पी—1 व 2 की कार्यवाही न होना बताया है। राजेंद्र (अ0सा0—2) घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होते हुये भी अभियोजन घटना एवं एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के न्यायालय में दिये गये कथनों के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं देता है।
- 19—अतः ऐसे में एस0 एस0 गौर (अ0सा0—4) के न्यायालीन कथनों से प्रदर्श—पी—1 व 2 में उल्लेखित कार्यवाही साबित नहीं होती है। वहीं जप्त शुदा छुरी एव

आर्टिकल ए की छुरी के माप में अंतर होना तथा स्वतंत्र साक्षियों को बिना किसी कारण के घटना का गवाह न बनाये जाने से एवं स्वयं पुलिस के साक्षियों के द्वारा एस0 एस0 गौर (अ०सा0-4) की कार्यवाही का समर्थन न करने से संपूर्ण अभियोजन घटना संदेह के घेरे में आ जाती है जिससे यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में कोई छुरी अभियुक्त से दिनांक 29.04.2011 को पुराने बस स्टेण्ड कलारी के पास जप्त हुई थी अथवा नहीं। उक्त संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित होगा।

- 20—फलस्वरूप अभिलेख पर आई एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नही हुआ कि कि अभियुक्त ने दिनांक 29.04.2011 को समय 14:30 बजे स्थान पुराना बस स्टेण्ड अंग्रेजी कलारी के सामने रोड चंदेरी, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312—6552—।।—बी दिनांक 22.11.74 द्वारा निषेधित एक लोहे धारदार छुरी, जिसकी लंबाई 7 इंच व चौडाई ढाई इंच थी, को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा 4 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया।
- 21—फलतः अभियुक्त वीरन पुत्र प्योरलाल अहिरवार को धारा—25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त वीरन पुत्र प्योरलाल अहिरवार को धारा—25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 22—अभियुक्त धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् तोडमरोड कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)